



Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)

Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India

Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश शासन)

क्रमांक: ब्राउस/स्था/ATP वि.फे./2023/753

दिनांक : 21/8/2023


विजिटिंग फेकल्टी आमंत्रण

विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के मानदण्डानुसार अर्हता प्राप्त इच्छुक व्यक्ति से संबंधित पाठ्यक्रम का कोर्स पूर्ण होने तक (क्रेडिट के अनुसार कुल निर्धारित अध्यापन घंटे) जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिये संबंधी विषयों में विजिटिंग फेकल्टी को आमंत्रित किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों (स्वयं सत्यापित) सहित अंतिम तिथि 11.09.2023 की सांय 6.00 बजे तक, कुलसचिव, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला-इन्दौर (म.प्र) के नाम एवं पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से बन्द लिफाफे में विश्वविद्यालय में भेज सकते हैं। लिफाफे पर अनिवार्य रूप से अध्ययनशाला का नाम, विजिटिंग फेकल्टी विषय को अंकित किया जाये। (प्रारूप संलग्न है।)

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रम में किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय का आदेश अंतिम एवं सर्वमान्य मान्य होगा।


क्र.	विषय	अध्ययनशाला का नाम
1.	डॉ. अम्बेडकर विचार	डॉ. अम्बेडकर विचार और दर्शन अध्ययनशाला
2.	राजनीति विज्ञान/ लोक प्रशासन	
3.	अर्थशास्त्र	
4.	इतिहास	
5.	हिन्दी	
6.	अंग्रेजी	
7.	दर्शनशास्त्र	
8.	पॉली	
9.	बुद्धिस्ट स्टडीज़	
10.	योग	

संलग्न – निर्धारित Expression of Interest पत्र।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:—

1. कुलपति के निज सचिव, माननीय कुलपति महोदय, ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर विचार और दर्शन अध्ययनशाला ब्राउस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. इंचार्ज कम्प्यूटर सेन्टर/वेबसाईट प्रभारी, ब्राउस की ओर वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।


सहा. कुलसचिव





Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)

Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India

Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकरसामाजिकविज्ञानविश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांक: ब्राउस/स्था/SScM वि.फे./2023/754

दिनांक : 21/08/2023


विजिटिंग फेकल्टी आमंत्रण

विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के मानदण्डानुसार अर्हता प्राप्त इच्छुक व्यक्ति से संबंधित पाठ्यक्रम का कोर्स पूर्ण होने तक (क्रेडिट के अनुसार कुल निर्धारित अध्यापन घंटे) जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिये संबंधी विषयों में विजिटिंग फेकल्टी को आमंत्रित किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों (स्वयं सत्यापित) सहित अंतिम तिथि 11.09.2023 की सांय 6.00 बजे तक, कुलसचिव, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला-इन्दौर (म.प्र) के नाम एवं पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से बन्द लिफाफे में विश्वविद्यालय में भेज सकते हैं। लिफाफे पर अनिवार्य रूप से अध्ययनशाला का नाम, विजिटिंग फेकल्टी विषय को अंकित किया जाये। (प्रारूप संलग्न है।)

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रम में किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय का आदेश अंतिम एवं सर्वमान्य मान्य होगा।


क्र.	विषय	अध्ययनशाला का नाम
1.	समाजशास्त्र/समाजकार्य	सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन अध्ययनशाला
2.	भूगोल	
3.	वाणिज्य	
4.	मनोविज्ञान	
5.	प्रबंधन	
6.	पर्यावरण विज्ञान	

संलग्न – निर्धारित Expression of Interest पत्र।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:—

1. कुलपति के निज सचिव, माननीय कुलपति महोदय, ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन अध्ययनशाला, ब्राउस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. इंचार्ज कम्प्यूटर सेन्टर/वेबसाईट प्रभारी, ब्राउस की ओर वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।


कुलसचिव





Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)

Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India

Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकरसामाजिकविज्ञानविश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांक: ब्राउस/स्था/AgRD वि.फे./2023/755

दिनांक : 21/08/2023

विजिटिंग फेकल्टी आमंत्रण

विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के मानदण्डानुसार अर्हता प्राप्त इच्छुक व्यक्ति से संबंधित पाठ्यक्रम का कोर्स पूर्ण होने तक (क्रेडिट के अनुसार कुल निर्धारित अध्यापन घंटे) जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिये संबंधी विषयों में विजिटिंग फेकल्टी को आमंत्रित किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों (स्वयं सत्यापित) सहित अंतिम तिथि 11.09.2023 की सांय 6.00 बजे तक, कुलसचिव, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला-इन्दौर (म.प्र) के नाम एवं पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से बन्द लिफाफे में विश्वविद्यालय में भेज सकते हैं। लिफाफे पर अनिवार्य रूप से अध्ययनशाला का नाम, विजिटिंग फेकल्टी विषय को अंकित किया जाये। (प्रारूप संलग्न है।)

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रम में किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय का आदेश अंतिम एवं सर्वमान्य मान्य होगा।

क्र.	विषय	अध्ययनशाला का नाम
1.	कृषि प्रसार शिक्षा (कृषि)	कृषि और ग्रामीण विकास अध्ययनशाला
2.	कृषि अर्थशास्त्र (कृषि)	
3.	हार्टिकल्चर (वेजीटेबल साईंस)	
4.	हार्टिकल्चर (फ्रूट साईंस)	
5.	एग्रोनोमी (कृषि)	
6.	पादप रोग विज्ञान (कृषि)	
7.	कृषि सांख्याकीय (कृषि)	
8.	एनीमल साईंस/पशुपालन/डेयरी साईंस	
9.	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन	
10.	प्लान्ट पथोलॉजी	
11.	एन्टोमोलॉजी (कृषि)	
12.	पादप कार्यकी	

संलग्न – निर्धारित Expression of Interest पत्र।

[Signature]
21/8/2023
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव, माननीय कुलपति महोदय, ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, कृषि और ग्रामीण विकास अध्ययनशाला, ब्राउस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. इंचार्ज कम्प्यूटर सेन्टर/वेबसाईट प्रभारी, ब्राउस की ओर वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।

[Signature]
कुलसचिव

[Signature]



Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)

Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India

Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकरसामाजिकविज्ञानविश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांक: ब्राउस/स्था/ESD वि.फे./2023/756

दिनांक : 21/08/2023


विजिटिंग फेकल्टी आमंत्रण

विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के मानदण्डानुसार अर्हता प्राप्त इच्छुक व्यक्ति से संबंधित पाठ्यक्रम का कोर्स पूर्ण होने तक (क्रेडिट के अनुसार कुल निर्धारित अध्यापन घंटे) जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिये संबंधी विषयों में विजिटिंग फेकल्टी को आमंत्रित किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों (स्वयं सत्यापित) सहित अंतिम तिथि 11.09.2023 की सायं 6.00 बजे तक, कुलसचिव, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला-इन्दौर (म.प्र) के नाम एवं पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से बन्द लिफाफे में विश्वविद्यालय में भेज सकते हैं। लिफाफे पर अनिवार्य रूप से अध्ययनशाला का नाम, विजिटिंग फेकल्टी विषय को अंकित किया जाये। (प्रारूप संलग्न है।)

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रम में किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय का आदेश अंतिम एवं सर्वमान्य मान्य होगा।



क्र.	विषय	अध्ययनशाला का नाम
1.	प्रसार शिक्षा एवं प्रबंध संचार	शिक्षा और कौशल विकास अध्ययनशाला
2.	मानव विकास	
3.	कम्प्यूटर साईंस	
4.	मीडिया	
5.	महिला अध्ययन (जेण्डर स्टडीज़)	
6.	गृह विज्ञान	

संलग्न – निर्धारित Expression of Interest पत्र।


21/8/2023
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव, माननीय कुलपति महोदय, ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, शिक्षा एवं कौशल विकास अध्ययनशाला, ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
3. इंचार्ज कम्प्यूटर सेन्टर/वेबसाईट प्रभारी, ब्राउस की ओर वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।


सच. कुलसचिव




Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)

Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India

Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकरसामाजिकविज्ञानविश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांक: ब्राउस/स्था/LSJ वि.फे./2023/ 757

दिनांक : 21/08/2023


विजिटिंग फेकल्टी आमंत्रण

विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के मानदण्डानुसार अर्हता प्राप्त इच्छुक व्यक्ति से संबंधित पाठ्यक्रम का कोर्स पूर्ण होने तक (क्रेडिट के अनुसार कुल निर्धारित अध्यापन घंटे) जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिये संबंधी विषयों में विजिटिंग फेकल्टी को आमंत्रित किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों (स्वयं सत्यापित) सहित अंतिम तिथि 11.09.2023 की सांय 6.00 बजे तक, कुलसचिव, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला-इन्दौर (म.प्र) के नाम एवं पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से बन्द लिफाफे में विश्वविद्यालय में भेज सकते हैं। लिफाफे पर अनिवार्य रूप से अध्ययनशाला का नाम, विजिटिंग फेकल्टी विषय को अंकित किया जाये। (प्रारूप संलग्न है।)

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रम में किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय का आदेश अंतिम एवं सर्वमान्य मान्य होगा।


क्र.	विषय	अध्ययनशाला का नाम
1.	विधि	विधि और सामाजिक न्याय अध्ययनशाला

संलग्न – निर्धारित Expression of Interest पत्र।


21/8/2023
कुलसचिव

प्रतिलिपि:—

1. कुलपति के निज सचिव, माननीय कुलपति महोदय, ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, विधि और सामाजिक न्याय अध्ययनशाला, ब्राउस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. इंचार्ज कम्प्यूटर सेन्टर/वेबसाईट प्रभारी, ब्राउस की ओर वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।


सच. कुलसचिव





Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)

Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India

Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

सामान्य निर्देश

(विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 21.08.2023 को जारी विजिटिंग फेकल्टी के विज्ञापन हेतु सामान्य निर्देश)

1. विजिटिंग फेकल्टी के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मानदण्ड एवं मानदेय निम्नानुसार रहेगा।

क्र.	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मानदण्ड	निर्धारित मानदेय
i	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ पीएच.डी. एवं नेट/सेट	प्रति कालांश रू. 800/- (अधिकतम रू. 25,000/- प्रतिमाह मानदेय)
ii	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ पीएच.डी. अथवा नेट/सेट	
iii	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	प्रति कालांश रू. 400/- (अधिकतम रू. 25,000/- प्रतिमाह मानदेय)

टीप :- i एवं ii में आवेदक उपलब्ध न होने पर ही iii को आमंत्रित हेतु विचार किया जावेगा।

2. प्रत्येक कालांश अवधि एक घंटे होगी।
3. विजिटिंग फेकल्टी किसी भी स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे।
4. विजिटिंग फेकल्टी का आमंत्रण प्रति कालखण्ड आधार पर पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अर्थात् क्रेडिट के अनुसार कुल अध्यापन घंटे तक (यथा 60 घंटे) अथवा आवश्यकता रहने तक अवधि के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
5. आमंत्रण पत्र में विभागाध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा की यह आमंत्रण संबंधित विषय के अध्यापन हेतु आवश्यकता अनुसार अधिकतम प्रति सेमेस्टर के कुल कोर्स की अवधि (यथा 60 घंटे) है।
6. यदि शेष या आंशिक कोर्स हेतु आमंत्रण किया जाना हो तो, अध्ययपन हेतु शेष अध्यापन अवधि घण्टे का उल्लेख करते हुए आमंत्रित किया जाएगा। जिसे आमंत्रित विजिटिंग फेकल्टी से समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना होगा।
7. विजिटिंग फेकल्टी के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए विजिटिंग विद्वान को सादे कागज पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
8. किसी भी स्थिति में नियमित शैक्षणिक पद भरे जाने पर पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण विजिटिंग फेकल्टी को कार्यरत नहीं रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्य आरचण ठीक ना होने एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर कार्यरत नही रखा जाएगा।
9. अनुभव हेतु अंक :- विजिटिंग फेकल्टी को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के किये गये अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंको को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक आवेदक विजिटिंग फेकल्टी द्वारा आवेदन के समय आवेदन में दर्ज किये जाएंगे, जिन्हें असत्य पाए जाने पर कार्यारंभ नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग प्रमुख द्वारा प्रदाय अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोड़ा

PK


जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 या 220 से अधिक कालखण्ड के मध्य चार अंक एवं 151-100 कालखण्ड के मध्य तीन अंक 51 - 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा।

10. समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार निःशक्तजन अभ्यर्थियों को भी स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।
11. मेरिट अंको की गणना :- स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, अनुसूचित जाति का है निःशक्तजन भी है एवं 5 वर्ष का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगे स्नातकोत्तर-25 अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिकार 7.5, निःशक्तजन के लिए अधिकार 7.5, अनुभव का अधिभार-20 कुल मेरिट अंक 60.
12. वरीयता का निर्धारण :- सर्वप्रथम बिन्दु 8 के अनुसार चयन श्रेणी की वरीयता मान्य होगी अर्थात् श्रेणी 1 के विजिटिंग फेकल्टी को सर्वोच्च वरीयता होगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले विजिटिंग फेकल्टी को वरीयता दी जाएगी।
13. विजिटिंग फेकल्टी की आमंत्रण पत्र जिसमें आमंत्रित विषय एवं उसकी निर्धारित कोर्स अवधि (क्रेडिट के अनुसार कुल अध्यायन घंटे) का उल्लेख करते हुए संबंधित अध्ययनशाला की डीन अथवा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा सक्षम अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाएगा। जिसमें कार्यग्रहण करने हेतु स्पष्ट तिथि अथवा अवधि का उल्लेख किया जाएगा जैसा विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार उचित समझे। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने से यह आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विभागाध्यक्ष वरीयता सूची में अगले अभ्यर्थी को आमंत्रित कर सकेंगे।
14. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी आमंत्रण पत्र में उल्लेखित कार्य अवधि जो कोर्स पूर्ण कराने की अवधि घण्टों में होगी, को ही विजिटिंग फेकल्टी की कार्य अवधि मानी जाएगी, जिनका कालखण्ड के अनुसार भुगतान हेतु विभागाध्यक्ष मासिक अनुसार मानदेय भुगतान की कार्यवाही प्रस्तावित कर सकते हैं। भुगतान हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व विभागाध्यक्ष इस सन्दर्भ का प्रमाण पत्र देना होगा।

(प्रमाण पत्र)

“यह भुगतान,(कोर्स का नाम) निर्धारित कोर्स अवधि (घण्टों में) में से
(कालांश संख्या घंटों में) का कोर्स संबंधित विजिटिंग फेकल्टी(नाम) एवं
.....(विषय का नाम) द्वारा पढ़ाया गया एवं कोर्स अवधि (घण्टों) शेष
है। विद्यार्थियों का भी कोर्स अवधि पूर्ण के संबंध में फीडबैक (रिपोर्ट) विजिटिंग फेकल्टी के मानदेय भुगतान हेतु संलग्न है।”

15. विजिटिंग फेकल्टी की उपस्थिति संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित रहेगी।
16. विजिटिंग फेकल्टी को सतत अनुशासन बनाए रखना होगा तथा अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

 21/01/2023
HC

17. विजिटिंग फेकल्टी प्रत्येक माह वार किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों से प्राप्त कर विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
18. विभागाध्यक्ष अध्ययनशाला में आमंत्रित विजिटिंग फेकल्टी के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके एवं भविष्य में विजिटिंग फेकल्टी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र चाहे जाने पर विभागाध्यक्ष, कुलसचिव के अनुमोदन उपरान्त, विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।
19. विजिटिंग फेकल्टी की परीक्षा कार्यों में ड्यूटी लगाई जा सकती है, जिस हेतु पृथक से नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा।
20. आवश्यकतानुसार इन निर्देशों की व्याख्या का अंतिम अधिकार कुलपति, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) म.प्र. का होगा।

21/8/2023